प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।

सेवा में,

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलरामपुर।
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
4. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।

पत्रांक : समग्र शिक्षा / यू–डायस 2023–24 / 3422-31 **/ 2023–24 दिनाँक :** 22-09-2023

विषय – शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु यू–डायसः पोर्टल पर डाटा फीडिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ के पत्र संख्या : रा0प0नि0 / एम0आई0एस0 / 7771 / 2023–24 दिनांक 21 सितम्बर'2023 एवं पत्र संख्या : रा0प0नि0 / एम0आई0एस0 / 7772 / 2023–24 दिनांक 21 सितम्बर'2023 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24 के यू–डायसः की गतिविधि को दिनांक 01 सितम्बर'2023 से प्रारम्भ करते हुए 02 माह के अन्दर (दिनांक 31 अक्टूबर'2023) तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है। इस हेतु निम्नलिखित विन्दुओं पर कार्यवाही अग्रिम 15 दिवसों में पूर्ण की जानी है –

1. यदि कोई नवीन शैक्षिक ब्लाक अथवा जनपद का परिसीमन हुआ है, जिसके कारण संचालित विद्यालयों के डाटा में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। सम्बन्धित नवीन जनपद / विकास खण्ड को यू–डायस+ पोर्टल में जोड़े जाने हेतु यथावश्यक पत्राजात यथा परिसीमन की कापी, गजट आदि की प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 25 अगस्त'2023 तक उपलब्ध करायें।
2. जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाएं यू–डायस+ पोर्टल पर पंजीकृत हो एवं उनको यू–डायस कोड आवंटित हों।
3. कतिपय विद्यालयों के सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रोफाइल में अंकित विवरण त्रुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विद्यालय स्तर से विद्यालय प्रोफाइल में अंकित विन्दुओं की पुष्टि कराते हुए यथा आवश्यक संशोधन के चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर लें।
4. सम्बन्धित शिक्षक संकुल अपने आवंटित विद्यालयों की सूची के सभी विद्यालयों से सम्पर्क करते हुए विद्यालयों में वर्ष 2023–24 में नामांकित छात्र–छात्राओं सम्बन्धी विवरण संकलित करते हुए पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
5. गतवर्ष के डाटा में प्री–प्राइमरी / प्ले ग्रुप संचालन वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों यथा किंडरगार्डेन, किड्जी आदि में अध्ययनरत छात्रों की सूचनाएं अंकित नहीं की गयी। अस्तु शैक्षिक सत्र 2023–24 में ऐसे विद्यालयों का कवरेज अनिवार्य रूप से किया जाये।

6. पोर्टल में विद्यालयों के प्रबन्धन (मैनेजमेण्ट) का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सही–सही अंकन किया जाये। विशेषकर मदरसा वाले विद्यालय जिनकी सूचनाएं गतवर्ष में त्रुटिपूर्ण थी, उन्हें चिन्हित कर सही किया जाये।
7. विद्यालयों की कैटेगरी का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सही–सही अंकन किया जाये। विशेषकर ऐसे विद्यालय जिनका उच्चीकरण हुआ हो, की सूचनाएं गतवर्ष में त्रुटिपूर्ण थी, उन्हें चिन्हित कर सही किया जाये।
8. शैक्षिक सत्र 2023–24 में विद्यालयों के क्रिटिकल इंडीकेटर्स को त्रुटिरहित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एल0जी0डी0 मैपिंग का कार्य भी अद्यावधिक किया जाये।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु उक्त विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यू–डायस+ 2023–24 के डाटा संकलन/फीडिंग की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ कराने का कष्ट करें। उपरोक्त गतिविधि समयबद्ध व महत्वपूर्ण है, कृपया उपरोक्त कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

(कल्पना देवी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।

पृ0सं0: समग्र शिक्षा/जेम–आई0जी0आर0एस0/ 3422-31 /2023–24 दिनॉकित।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
6. समस्त जिला समन्वयकों, समग्र शिक्षा, बलरामपुर।
7. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर।